[redacted] (अपील संख्या एस–11–0205/ए/2024)

श्री रवि शेखर बनाम ज0सू0अ0, जिला पंचायत राज अधिकारी, जनपद–हापुड़।

समक्ष–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह, मा0 राज्य सूचना आयुक्त।

आदेश

उभयपक्ष अनुपस्थित हैं। इस प्रकरण में अपीलार्थी ने कतिपय बिन्दुओं के साथ निजामपुर अहमदपुर नयागांव के सम्बन्ध में कतिपय बिन्दुओं पर सूचनाएं मांगी हैं। प्रश्नगत मामले में गत सुनवाई दिनांक 29.04.2025 को जनसूचना अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, जनपद–हापुड़ से अपेक्षा की गई थी कि अपीलार्थी को वांछित सूचनाएं 15 दिन के भीतर उपलब्ध कराते हुए अनुपालन आख्या आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा उनके विरुद्ध ''सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005'' की धारा 20(1) के अन्तर्गत रु0 25,000/– का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाएगा। किन्तु आज सुनवाई के दौरान जनसूचना अधिकारी न तो उपस्थित हैं और न ही उनका कोई लिखित अभिकथन पत्रावली पर उपलब्ध है। यह स्थिति अत्यन्त आपत्तिजनक है।

अतः न्यायहित में जनसूचना अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, जनपद–हापुड़ को **अन्तिम अवसर** प्रदान करते हुए अपीलार्थी का मूल आवेदन पत्र संलग्न कर इस आशय की नोटिस निर्गत की जाए कि वांछित सूचनाएं अपीलार्थी को 15 दिन के भीतर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें एवं कृत कार्यवाही से आयोग को भी अवगत कराएं अन्यथा उनके विरुद्ध ''सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005'' की धारा 20(1) के अन्तर्गत रु0 25,000/– का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाएगा।

वाद सुनवाई के लिए दिनांक 22.07.2025 को प्रस्तुत हो।

10.06.2025

यह आदेश
दिनाँक 8/7/25
को अपलोड किया गया।
सौरभ सिंह
आशुलिपिक

Scanned with OKEN Scanner